"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 550] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2017 — अग्रहायण 30, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2017 — (अग्रहायण 30, 1939)

क्रमांक-11622/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017), जो गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 22 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्र. 24 सन् 2005) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. (1) छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्र. 24 सन् 2015), (जो इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 के खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ङ) "निक्षेप" में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा नकद या वस्तु या विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में कोई लाभ-सहित या लाभ-रहित वापसी के आशय से किसी वित्तीय स्थापना द्वारा जनता से धन की प्राप्ति, किसी मूल्यवान वस्तु का प्रतिग्रहण या किसी चल सम्पत्ति का प्रतिग्रहण, सम्मिलित हैं और सदैव सम्मिलित समझा जायेगा किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं -

(एक) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का सं. 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं बनाये गये विनियमों के अधीन आने वाले शेयर पूंजी के माध्यम से या डिबेंचर, बॉन्ड या किसी अन्य लिखत के माध्यम से उगाही गई कोई राशि;

(दो) किसी फर्म के भागीदारों द्वारा पूंजी के रूप में अभिदत्त राशि;

(तीन) अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 10) की धारा 5 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी से अभिप्राप्त कोई राशि;

(चार) निम्नलिखित से अभिप्राप्त कोई राशि-
- (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, या
- (ख) राज्य वित्तीय निगम, या
- (ग) कोई वित्तीय संस्थान, जो कंपनी अधनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (72) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट है; या
- (घ) कोई अन्य संस्था जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये;

(पांच) वित्तीय स्थापना के कारोबार के दौरान या प्रयोजनार्थ प्राप्त कोई राशि,-
- (क) नाल की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के लिये किसी भी रीति में परिगणित अग्रिम के रूप में :

  परन्तु ऐसे अग्रिम का विनियोजन, माल की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के विरूद्ध ऐसे अग्रिम की स्वीकृति की तारीख से तीन सौ पैसठ दिन की अवधि के भीतर कर लिया जाये :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी अग्रिम के मामले में, जो किसी न्यायालय के समक्ष किसी विधिक कार्यवाही की विषयवस्तु है, उक्त तीन सौ पैंसठ दिन की समय-सीमा, लागू नहीं होगी;

(ख) किसी करार या ठहराव के अधीन संपत्ति के प्रतिफल से संबद्ध किसी भी रीति से परिगणित अग्रिम :

परंतु यह कि ऐसा अग्रिम, करार या ठहराव के शर्तों के अनुसार संपत्ति के विरूद्ध समायोजित किया जाता है;

(ग) माल की आपूर्ति या सेवाओं के प्रदान किए जाने के लिए संविदा के पालन हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में;

(घ) उपर्युक्त मद (ख) के अंतर्गत आने वाले के सिवाय, पूंजीगत माल की आपूर्ति के लिये दीर्घकालीन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अग्रिम के रूप में :

परंतु यदि उपर्युक्त मदों (क), (ख) और (घ) के अंतर्गत प्राप्त राशि, इस कारण से प्रतिदाय (ब्याज सहित या रहित) हो जाती है कि धनराशि स्वीकृत करने वाली वित्तीय स्थापना को, माल या सम्पत्तियों या सेवाओं, जिनके लिये धनराशि ली गई है, से संबंधित आवश्यक अनुज्ञा या अनुमोदन, जहां कहीं अपेक्षित हैं, प्राप्त नहीं है तो प्राप्त राशि को इस अधिनियम के अधीन जमा माना जाएगा;

स्पष्टीकरण - इस उप-खंड के प्रयोजन के लिये, प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट राशि को, प्रतिदाय हेतु बकाया होने की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर जमा माना जाएगा.

(छ:) राज्य में तत्समय प्रवृत्त साहूकारी से संबंधित किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति या फर्म या व्यष्टिसंगम से अभिप्राप्त कोई राशि :

(सात) किसी फर्म, कंपनी या किसी अन्य कृत्रिम विधिक व्यक्ति से अभिप्राप्त कोई ऋण या उधार; और

(आठ) चिट के संबंध में अभिदान के रूप में अभिप्राप्त कोई राशि.

स्पष्टीकरण एक- "चिट" का वही अर्थ है जो चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का सं. 40) की धारा 2 के खंड (ख) में उसके लिये समनुदेशित है.

स्पष्टीकरण दो- संव्यवहार, इस खंड के अर्थ के भीतर चिट नहीं है, यदि ऐसे संव्यवहार में,-

(क) केवल वह अंशधारी, किन्तु सभी नही, भविष्य में अंशदान के भुगतान के लिये बना किसी दायित्व के ईनामी राशि को प्राप्त करते हैं; या

(ख) समस्त अंशधारी भविष्य में अंशदान के भुगतान के लिये दायित्व के साथ चिट राशि को बारी-बारी से प्राप्त करते है;

स्पष्टीकरण तीन- किसी विक्रेता द्वारा किसी संपत्ति (चाहे वह चल या अचल हो) की बिक्री पर क्रेता को दिये गये किसी जना धन या अग्रिम को इस खंड के प्रयोजन के लिये निक्षेप नहीं समझा जायेगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में, शब्द "कंपनी" के स्थान पर, शब्द "वित्तीय स्थापना" प्रतिस्थापित किया जाये.

(3) मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ज) "वित्तीय स्थापना" से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति जिसमें उक्त स्थापना के निदेशक, सप्रवर्तक, भागीदार, प्रबंधक या सदस्य भी सम्मिलित हैं जो किसी योजना या व्यवस्था के अधीन अथवा किसी अन्य प्रकार से निक्षेप का प्रतिग्रहण करता है किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है-

(एक) बैंकिंग कंपनी जो कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 10) की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित है; या

(दो) बीमा कंपनी जो कि बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का सं. 4) की धारा 2 के खंड (8) में परिभाषित है, जिसे उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र दिया गया है; या

(तीन) किसी अधिनियम द्वारा निगमित निगम; या

(चार) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई सहकारी सोसाइटी; या

(पांच) कोई भी संस्था जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजन के लिये, शब्द "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(एक) कोई व्यष्टि
(दो) कोई कम्पनी,
(तीन) कोई फर्म,
(चार) कोई सीमित दायित्व भागीदारी,
(पांच) कोई व्यक्तिसंगम या व्यष्टिनिकाय चाहे वह निगमित हो या न हो, और
(छ:) प्रत्येक ऐसे कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो इस स्पष्टीकरण के उप-खंड (एक) से (पांच) के अंतर्गत नहीं है."

(4) मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(झ) "कपटपूर्ण व्यतिक्रम" से अभिप्रेत है किसी वित्तीय स्थापना का ऐसा कृत्य, जिससे परिपक्वता पर निक्षेप या ब्याज, बोनस, लाभ के रूप में या यथा प्रतिज्ञात किसी अन्य रूप में कोई लाभ प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम होता है अथवा निक्षेप के विरूद्ध आश्वासित, सम्मत या प्रतिज्ञात कोई अन्य विशेष सेवा-

(क) किसी एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ एवं अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाने के आशय से, या

(ख) ऐसे निक्षेप के प्रतिग्रहण के समय की गई अव्यवहारिक या वाणिज्यिक तौर पर अव्यवहार्य वचन से उदभूत अथवा निक्षेप से अर्जित धन या आस्तियों के ऐसी रीति से अभिनियोजन से, जब आवश्यकता हो, उसकी वसूली में अंतर्निहित जोखिम अंतर्वलित हो, उद्भूत अपनी अक्षमता के कारण,

उपलब्ध कराने में, विफल रहती है."

(5) मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(ट) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(ठ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ड) "अनुसूचित बैंक" से संदर्भित है वे बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 2) की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध है;

(ढ) "पर्यवेक्षी प्राधिकारी" से अभिप्रेत है एवं उसमें सम्मिलित हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, कम्पनियों के पंजीयक, सहकारी सोसाइटी के सभी पंजीयक और सभी अन्य प्राधिकरण जिसे किसी अधिनियम द्वारा सशक्त किया गया हो."

3. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

नवीन धारा 5क, 5ख और 5ग का अन्त:स्थापन.

"5क. सक्षम अधिकारी की शक्तियां.- (1) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किया जाये.

(2) उप-धारा (1) या विधि के किसी अन्य उपबंधों के अधीन निहित शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित में से कोई कार्य करने या उप कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करवाने हेतु, सशक्त होगा-

(क) किसी भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति से सहायता की अपेक्षा करने और आहूत किये जाने पर, वे इस प्रकार अपेक्षित सहायता देने हेतु बाध्य होंगे;

(ख) व्यवसायिक योग्यता रखने वाले कोई व्यक्ति जिसमें चार्टर्ड एकाउन्टेंट और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक सम्मिलित हैं, की सेवाएं संलग्न करने, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे;

(ग) वित्तीय स्थापना से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन किसी विपणन योग्य प्रतिभूति या परक्राम्य लिखत का विक्रय, प्राप्ति, अंतरण, पराक्रमण, पृष्ठांकन करने या अन्यथा संव्यवहार करने और उसका समुचित उन्मोचन करने;

(घ) किसी लोक प्राधिकारी या लोक कार्यालय या कोई अन्य व्यक्ति से वित्तीय स्थापना के बारे में जानकारी, जैसा कि अपेक्षित हो, ले सकेगा या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे लोक प्राधिकारी या लोक कार्यालय या कोई अन्य व्यक्ति, ऐसी जानकारी को, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करेगा; और

(ङ) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, वित्तीय स्थापना के किसी भी व्यक्ति, स्थान, सम्पत्ति, दस्तावेज, लेखा बहियों या ऐसे अन्य कार्यों के सम्बन्ध में जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण सहित सभी कार्रवाई की अपेक्षा करने और ऐसे भारसाधक अधिकारी, यथास्थिति, अपनी जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण प्रतिवेदन, तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा.

5ख. सक्षम प्राधिकारी द्वारा आस्तियों एवं निक्षेप देनदारियों का निर्धारण.- धारा 7 के अधीन अन्त:कालीन आदेश पारित होने के तुरन्त बाद, सक्षम प्राधिकारी वित्तीय स्थापना की आस्तियों और निक्षेप देनदारियों का विहित रीति से निर्धारण करेगा या उप कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से निर्धारण करायेगा और ऐसे निर्धारण को विशेष न्यायालय को प्रस्तुत करेगा.

5ग. सक्षम प्राधिकारी की कुछ मामलों में धन व अन्य सम्पत्ति को जब्त या कुर्क करने की शक्ति.- (1) जहां सक्षम प्राधिकारी को विश्वास करने का कारण हो कि किसी वित्तीय स्थापना द्वारा धारा 7 में निर्दिष्ट कोई धन या अन्य सम्पत्ति को छिपाने या स्थानांतरित या अन्यथा किसी भी रीति से ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति को संव्यवहारित करने की संभावना है जिसका परिणाम उसका व्ययन होगा या धारा 10 के अंतर्गत अपराध किया गया है, तो वह ऐसे विश्वास के कारणों को व्यक्त करते हुये, ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति को जब्त करने के लिये लिखित में आदेश कर सकेगा :

परन्तु जहां ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति को जब्त कर पाना व्यवहारिक नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी कुर्क करने का आदेश देते हुये निर्देशित करेगा कि ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति को, उनकी पूर्व अनुमति के अतिरिक्त, स्थानांतरित या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा और ऐसे आदेश की प्रति संबंधित वित्तीय स्थापना को तामील करायेगा.

(2) उप-धारा (1) के अधीन पारित कोई भी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक उक्त आदेश को, इस आदेश के पारित होने की तीस दिवस की कालावधि के भीतर, विशेष न्यायालय के आदेश द्वारा संपुष्टि नहीं कर देता."

धारा 6 का संशोधन. 4. (1) मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में, शब्द "बिना सक्षम प्राधिकारी को" के पश्चात्, शब्द "ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से जो विहित किया जाये" अन्त:स्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(2क) यदि उपधारा (1) या (2) के अधीन सूचित किन्हीं विशिष्टियों के संबंध में कोई भी परिवर्तन होता है, तो संबंधित वित्तीय स्थापना का यह कर्तव्य होगा कि वह, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन के सात दिवस के भीतर सूचित करे."

(3) मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) की स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(5) यदि कोई वित्तीय स्थापना, उपधारा (1), (2), (2क), (3) या (4) के उपबंधों या उक्त किसी उपधाराओं के संबंध में इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करती है, तो सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक उल्लंघन होने की घटना पर एक लाख रूपये तक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम उल्लंघन की घटना के पश्चात् उल्लंघन जारी रहने के दौरान अधिकतम तीस दिनों की अवधि तक प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा."

(4) मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(6) यदि वित्तीय स्थापना या कोई व्यक्ति जो ऐसे वित्तीय स्थापना के प्रबंधन या कारोबार या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी है, पर्याप्त कारण के बिना, उपधारा (5) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश द्वारा निर्देशित जुर्माने की राशि भुगतान करने में विफल रहती है या उक्त जुर्माने की राशि भुगतान कर, उपधारा (1), (2), (2क), (3) या (4) के उपबंधों या उक्त किसी उपधाराओं के संबंध में इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन जारी रखती है या उक्त उपधाराओं के अंतर्गत गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करता है, तो उसे कारावास से जो तीन माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जायेगा."

धारा 7 का संशोधन. 5. (1) मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) यह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के अतिरिक्त, न कि उसके अल्पीकरण में, जहां सक्षम प्राधिकारी को-

(एक) निक्षेपकों से या अन्यथा प्राप्त शिकायत पर यह समाधान हो जाए कि कोई वित्तीय स्थापना निम्नलिखित को करने में विफल हो चुकी है-
(क) परिपक्वता के बाद निक्षेप वापस करने, या
(ख) ब्याज या अन्य आश्वासित लाभ देने, या
(ग) ऐसे निक्षेप के विरूद्ध आश्वासित सेवा देने,

(दो) स्वविवेक से यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वित्तीय स्थापना, निक्षेपकों को धोखा देने के आशय से प्रकल्पित रीति से उनके हित के लिए हानिकर कार्य कर रही है या यह समाधान हो कि ऐसी वित्तीय स्थापना की संभावना नहीं है कि वह-
(क) निक्षेप वापस करेगी, या
(ख) ऐसी निक्षेप राशि पर अर्जित ब्याज का भुगतान करेगी, या
(ग) आश्वासित लाभ या ऐसी सेवायें को उपलब्ध कराने वाली नहीं है जिनके लिए निक्षेप प्राप्त किया गया है;

तो वह ऐसे वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से, कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के बाद ऐसे धन या अन्य संपत्ति, जिसके संबंध में विश्वास हो कि उस वित्तीय स्थापना द्वारा या तो अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वित्तीय स्थापना द्वारा संग्रहित निक्षेप से अर्जित किया है, कुर्की करने के लिए अंत:कालीन आदेश पारित कर सकेगा और क्षेत्र के स्थानीय समाचार पत्रों में आदेश का प्रकाशन करायेगा :

परन्तु यदि यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त यथा निर्दिष्ट ऐसा धन या अन्य संपत्ति, कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है या निक्षेप की प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी-
(क) प्रथमत:, उक्त वित्तीय स्थापना की कोई अन्य सम्पत्ति, और
(ख) द्वितीयत:, उक्त वित्तीय स्थापना के संप्रवर्तक, निदेशक, भागीदार, प्रबंधक या सदस्यों की व्यक्तिगत आस्तियां,
कुर्क करेगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में, अंक "15" के स्थान पर शब्द "तीस" प्रतिस्थापित किया जाये.

(3) मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित" को विलोपित किया जाये.

(4) मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (6) को विलोपित किया जाये.

(5) मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(11) उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो सौ चालीस दिवस की अवधि के भीतर, विशेष न्यायालय, आदेश पारित करेगी.

(12) धारा 10 के अधीन प्रत्येक दंडनीय अपराध, संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे."

6. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :- नवीन धारा 7क का अन्त:स्थापन.

"7क. कुर्क किये गए सम्पत्ति का अंतरण प्रतिबंधित और शून्य होगा.- जब अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी वित्तीय स्थापना के धन या अन्य सम्पत्ति को कुर्क किये जाने का अंत:कालीन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, तो ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को किसी भी रीति में, चाहे जो भी हो, अन्तरित नहीं किया जाएगा :

परन्तु कोई अन्तरण, जो किया गया है या हो चुका है, आरम्भत: शून्य होगा."

धारा 10 का संशोधन. 7. (1) मूल अधिनियम की धारा 10 में, शब्द और अंक "पांच लाख रूपये" और "10 लाख रूपये", के स्थान पर क्रमश: शब्द "सात लाख रूपये" और "पन्द्रह लाख रूपये" प्रतिस्थापित किया जाये."

(2) मूल अधिनियम की धारा 10 में, शब्द "सुविचारित रीति से" को विलोपित किया जाये."

नवीन धारा 10क का अन्त:स्थापन. 8. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"10क. भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना.- यदि कोई वित्तीय स्थापना निक्षेप आमंत्रित करने हेतु कोई विज्ञापन जारी करती है या जारी करवाती है, जिसमें मिथ्या निरूपण या जिससे लोगों को भ्रमित करने की संभावना हैं, अन्तर्विष्ट है, तो सक्षम प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् एक लाख रूपये तक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे विज्ञापन के दूसरे और बाद के अपराध की घटना के लिए अधिरोपित जुर्माने की राशि दो लाख रूपये तक हो सकेगी.

स्पष्टीकरण - शब्द "विज्ञापन" में कोई भी नोटिस, ब्रोशर, पर्चे, परिपत्रों, शो कार्ड्स, सूचीपत्र, होर्डिंग्स, घोषणापत्र, पोस्टर्स, समाचार पत्र में प्रविष्ठ, तस्वीर, चलचित्र एवं अन्य कोई विषय जिसे प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविजन कार्यक्रमों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता हो, सम्मिलित हैं."

धारा 13 का संशोधन. 9. (1) मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "अपराध का विचारण" के पूर्व, कोष्टक और अंक "(1)" अन्त:स्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(2) विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करते समय, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अधीन उस विचारण में दोषारोपित किया जा सकता हो, का भी विचारण कर सकेगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्र. 24 सन् 2015) वित्तीय स्थापनाओं में जनता द्वारा किये गये निक्षेपों का संरक्षण करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था :

और यत: भारत सरकार, द्वारा विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति संसूचित करते समय, यह भी अवगत कराया गया कि माननीय राष्ट्रपति ने प्रस्तावित विधेयक पर अनुमति इस शर्त के अधीन दी है कि छत्तीसगढ़ सरकार इसके प्रभाव में आने से 6 माह के भीतर सुझावित संशोधनों को शामिल करेगी :

और यत:, उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये, छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्र. 36 सन् 2015), राज्य विधानसभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को पारित किया गया था तथा माननीय राज्यपाल के द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अधीन माननीय राष्ट्रपति के विचारण एवं सहमति हेतु, आरक्षित रखा गया था :

और यत:, माननीय राज्यपाल द्वारा, राज्य विधान सभा द्वारा पारित छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्र. 36 सन् 2015) को इसके विभिन्न खण्डों पर सदन द्वारा पुनर्विचार करने हेतु लौटाया गया है. चूंकि विधेयक में संशोधन व्यापक स्वरूप के हैं, अतएव उक्त विधेयक को सदन की अनुमति से वापिस लिया गया :

और यत:, भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझाव को दृष्टिगत रखते हुये तथा अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये, छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्र. 24 सन् 2015) में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत.

रायपुर,

दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

विषय :— छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्र. 24 सन् 2015) की धाराओं में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में उपाबन्ध

1. धारा 2 (ङ)— 'निक्षेप' से अभिप्रेत है, निक्षेप जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45—1 (ख ख) में परिभाषित किया गया है.

2. धारा 2 ((च)— 'जमाकर्ता' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कंपनी में निक्षेप करता है, और उसमें जमाकर्ता के वारिस, कानूनी उत्तराधिकारी, प्रशासक या समनुदेशिति शामिल होते हैं.

3. धारा 2 (ज)— 'वित्तीय स्थापना' से अभिप्रेत है किसी योजना या किसी समझौते के अधीन या किसी अन्य रीति में निक्षेपों को प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ या कोई फर्म या कोई कम्पनी जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का सं.1) के अधीन निगमित हो, किन्तु इसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन निगम या कोई सहकारी सोसायटी या बैंकिंग कंपनी जैसा कि बैंकिंग कंपनी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 क सं. 10) की धारा 5 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी में सम्मिलित नहीं है.
4. धारा 2 (झ)— 'कपटपूर्ण व्यक्तिक्रम' से अभिप्रेत है किसी वित्तीय स्थापना द्वारा परिपक्वता पर किसी प्रतिसंदाय का कपटपूर्ण व्यक्तिक्रम करना और/या ब्याज के रूप में सुविधा, बोनस लाभ या दिए गए वचन के रूप में देय या निक्षेप पर आश्वस्त की गई सुविधाओं को परिपक्वता पर या कपटपूर्ण तरीके से विफल होती है.
5. धारा 2 (ञ)— विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित न्यायालय.

6. धारा 5— सक्षम प्राधिकारी— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी प्राधिकारी को जो जिला मजिस्ट्रेट की पद श्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी.

7. धारा 6— कारोबार की सूचना— (1) प्रत्येक वित्तीय स्थापना जो सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में पहले से ही अपना व्यवसाय कर रही है, अधिनियम के प्रारंभ होने के दो माह के भीतर अपने कारोबार के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचना देगी.

   (2) कोई भी वित्तीय स्थापना सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए, अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं करेगी.

   (3) वित्तीय स्थापना, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षकीय प्राधिकारी के अधीन नियत

कालिक विवरणियां अनधिक रूप से प्रेषित किए जाने के लिए अपेक्षित है.

(4) सक्षम प्राधिकारी, स्व–विवेक से किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में कारोबार करने वाली किसी भी वित्तीय स्थापना को निर्देश दे सकेगा कि वह स्थापना द्वारा प्राप्त किए गए निक्षेपकों से संबंधित या संसक्त ऐसे विवरण, जानकारी या विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में, ऐसे अंतरालों तथा ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करें जैसा कि साधारण या विशेष आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(5) जो कोई इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा उसे तीन माह तक का कारावास या रूपये पांच हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा. साथ ही वित्तीय स्थापना को भी जुर्माना देना होगा जो कम से कम रूपये पच्चीस हजार होगा और अधिकतम रूपये पचास हजार तक बढ़ाया जा सकेगा.

8. धारा 7– निक्षेपों की वापसी में व्यतिक्रम होने पर संपत्तियों की कुर्की. कुर्की के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्तियां– (1) जहां सक्षम अधिकारी संतुष्ट हों :–

(एक) निक्षेपकों या अन्य किसी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर, कि किसी वित्तीय स्थापना के कपटपूर्ण तरीके से व्यतिक्रम किया है.

(दो) ऐसी वित्तीय स्थापना द्वारा निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से, सोचे समझे तरीके से कार्य कर रही है और वह वित्तीय स्थापना निक्षेप की गई राशि को वापस नहीं करेगी. सक्षम प्राधिकारी ऐसे वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से, कोई धन या अन्य संपत्ति की, जो या तो वित्तीय स्थापना के नाम से हो या किसी अन्य व्यक्ति या स्थापना के नाम से उपाप्त की गई अभिकथित है, या यदि यह प्रगट होता है कि, ऐसा धन या अन्य संपत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है, या वह निक्षेपों के प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उक्त वित्तीय स्थापना या उक्त वित्तीय स्थाना के संप्रवर्तक, भागीदार निदेशक, प्रबंधक या सदस्य की ऐसी अन्य संपत्ति भी जैसी कि सक्षम प्राधिकारी उचित समक्षे, कुर्की करते हुए अंतःकालीन आदेश पारित कर सकेगा और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवा सकेगा.

(2) सक्षम प्राधिकारी कुर्की के अंतःकालीन आदेश को आत्यंतिक बनाने के लिए विशेष न्यायालय को उसके द्वारा पारित किए गए आदेश से 15 दिन के भीतर आवेदन करेगा.

(3) सक्षम प्राधिकारी किसी विशेष न्यायालय या पदाभिहित न्यायालय को या किसी अन्य न्यायिक फोरम को जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के किसी धन या संपत्ति या आस्तियों अथवा दृष्यमान धन या संपत्तियों या आस्तियों के संबंध में किसी विवाद्यक या विषय का न्यायनिर्णय करने के लिए किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा किसी समरूप अधिनियमित के अधीन स्थापित या गठित या शक्तियों से न्यस्त किया गया है, यथास्थिति उक्त विशेष न्यायालय का पदाभिहित न्यायालय या न्यायिक फोरम की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के किसी धन या संपत्ति या आस्तियों या दृष्यमान धन या संपत्ति या आस्तियों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित आदेश पारित करने के लिए भी आवेदन कर सकेगा.

(4) धारा 7 की उप धारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय, किसी वित्तीय स्थापना के या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, उससे यह कारण दर्शाने की अपेक्षा करने की सूचना जारी करेगा कि क्यों न कुर्की के आदेश का आत्यंतिक बना दिया जाए और ऐसी सूचना के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आवेदन को भी संलग्न किया जाएगा.

(5) उप धारा (1) के अधीन कुर्क की गई संपत्ति में किसी भी प्रकार का हित या दावा रखने वाला कोई भी व्यक्ति कुर्की आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर, विशेष न्यायालय को आवेदन/आक्षेप प्राप्त होने के बाद, आवेदक और सक्षम प्राधिकारी की सुनवाई का अवसर देने के उपरांत, जैसा उचित समझे, आदेश पारित करेगा.

(6) आवेदन/आक्षेप की सुनवाई के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान लागू होंगे.

(7) यदि विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व कोई कारण नहीं दर्शाया गया है और कोई आक्षेप नहीं किया गया है तो विशेष न्यायालय तुरंत कुर्की के अंतरिम आदेश को आत्यंतिक आदेश बनाते हुए एक आदेश पारित करेगा.

(8) विशेष न्यायालय अंतिम आदेश पारित करते समय कुर्की का आत्यंतिक या अंशतः आदेश दे सकेगा. इस प्राकर का आदेश देते समय विशेष न्यायालय ने कुर्क की गई संपत्ति के उस भाग को जो निक्षेपकों को प्रतिसंदाय हेतु आवश्यक हो, निर्मुक्त नहीं कर सकेगा.

(9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन किए जाने पर विशेष न्यायालय ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जैसे कि कुर्क की गई संपत्ति में से वसूल किए गए राशि का संवितरण निक्षेपकों को किया जावेगा.

(10) जहां किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा समरूप अधिनियमिति के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत या विनिर्दिष्ट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कि राज्य सरकार द्वारा कुर्क किए गए किसी धन या संपत्ति या आस्तियों पर नियंत्रण करने के लिए सशक्त किया गया है, कोई आवेदन किया जाता है, वहां विशेष न्यायालय उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा मानो कि ऐसा आवेदन इस अधिनियम के अधीन किया गया है और ऐसी अधिनियमिति के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे आवेदन पर समुचित आदेश या निर्देश पारित करेगा.

9. धारा 10– वित्तीय स्थापना द्वारा व्यतिक्रम के लिए दण्ड– जहां कोई वित्तीय स्थापना कपटपूर्ण व्यतिक्रम करती है या कोई वित्तीय स्थापना निक्षेपकों को कपटवंचित करने के आशय से सुविचारित रीति से कार्य करती है तो प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें ऐसी वित्तीय स्थापना के प्रबंधन के लिए या कारोबार या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक या कोई अन्य व्यक्ति या कोई कर्मचारी सम्मिलित है, दोष सिद्ध होने पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष कम नहीं होंगी किन्तु इसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु इसे पांच लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जाएगा और ऐसी वित्तीय स्थापना ऐसे जुर्माने की भी दायी होगी जो 3 लाख रूपये से कम नहीं होगा किन्तु इसे 10 लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा.

10. धारा 13– अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां– अपराध का विचारण करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) में वारंट के लिए विचारण हेतु निहित की गई प्रक्रिया लागू होगी और विशेष न्यायालय विचारण के लिए मामले को उसे सुपुर्द किए बिना अपराध का संज्ञान कर सकेगा.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.